फाईल नं० 6/1/2013/एसडी/एम

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

सूत्रधार विभाग

दिनाङ्क :२५मई, 2013
२७

कार्यालय आदेश 84/13

जैसाकि आपको विदित है कि केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार/विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों में 01.01.2004 तथा उसके बाद भर्ती हुए नए प्रवेशियों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर 01.01.2004 से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-2009) आरम्भ की है । वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं 1(2)/1.वी/2007 दिनाङ्क 30 जून, 2009 के अनुसार इस योजना का विस्तार, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी, जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले हुई है कर दिया गया है । इस योजना के अनुसार, अंशदायी भविष्य निधि (कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों के शेयर/भाग) के मौजूदा कोष उनकी नियुक्ति की तारीख से पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीएस) खाते में स्थान्तरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों द्वारा मासिक योगदान आवर्ती @ मूल वेतन का 10% + महगाई भत्ता तथा स्वायत्त संगठन द्वारा एक मिलान योगदान @मूल वेतन का 10% + महगाई भत्ता देय होगा। अधिक जानकारी के लिए पीएफआरडीएस की वेबसाईट (www.pfrda.org.in एवं www.npscra.nsdl.co.in) पर देखा जा सकता है।

समय समय पर स्टाफ सदस्यों की ओर से इस पूर्वव्यापी एनपीएस लागू करने के आवेदन आ रहे हैं परन्तु पूर्वव्यापी एनपीएस को लागू करने की संभावना तलाश करने के लिए पीएफडीआरए ने यह सूचित किया है कि इसके लिए कर्मचारियों की पूरे सेवा काल की भविष्य निधि का पूर्ण योगदान नियुक्ताओं के सांझा योगदान के साथ पीएफडीआरए में स्थान्तरित करना होगा। ऐसी स्थिति में, उन कर्मचारियों को जिन्होंने भविष्य निधि (पीएफ) से भाग अग्रिम वापसी या अग्रिम लिया है, योजना अपनाने पर कार्यालय में तुरंत पूर्ण राशि वापिस करनी होगी।

योजना लागू करने की संभावनाओं का कार्यालय द्वारा आकलन करने के लिए, कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त शर्तों पर एनपीएस लेने के लिए अपनी इच्छा को लिखित रूप में कार्यालय को 17 जून, 2013 तक दे दें।

इस परिपत्र को सम्बन्धित विभागों/ एककों में कार्यरत् कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाए ।

२५/५/13

(कैलाश चन्द्र पाण्डेय)
अवर सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. सदस्य सचिव के वैयक्तिक सहायक
2. संयुक्त सचिव के वैयक्तिक सहायक
3. निदेशक के निजी सचिव
4. मुख्य लेखाधिकारी
5. सभी विभागाध्यक्षों /अधिकारियों को प्रेषित